IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1974 जयपुर,दि0: 10.5.2018

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः— ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंगः— विभागीय पत्र क0एफ.4(78) सिवायचक/ नियमन/विधि/ पंरा/2017/1469 दिनांक 30.11.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड़ कर, यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड़ कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे करवाया जाकर, तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य सुनिश्चित किया जाये, ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमियों के रहवासियों को पट्टे जारी किये जा सकें ।

वर्तमान में राज्य में दिनांक 1.5.2018 से 30.6.2018 तक राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018 अभियान चलाया जा रहा है । राज्य सरकार की मंशा है कि इस अभियान के तहत उपरोक्तानुसार प्रासंगिक पत्र में दिये गए निर्देशों की पालना में संबंधित रहवासियों को भी पट्टे दिये जायें ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.11.2017 में दिये गए निर्देशानुसार सर्वे के कार्य से लेकर संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे दिये जाने के कार्य को निम्नलिखित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करायें:—

क0सं0	किया जाने वाला कार्य	निर्धारित समयावधि
1.	ग्रामसेवक एवं पटवारी द्वारा किया जाने वाला संयुक्त सर्वे	7 दिवस
2.	तहसीलदार द्वारा उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सेटअपार्ट हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित SDO को भिजवाया जाना	3 दिवस
3.	उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किया जाना	3 दिवस
4.	सेटअपार्ट की गई भूमि का तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर, जमाबन्दी की प्रति संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति को दिया जाना	2 दिवस
5.	संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) की कार्यवाही कर, संबंधित को पट्टे जारी करना	15 दिवस

(अजिताभ शर्मा) 10.5.18.
शासन सचिव
राजस्व विभाग

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
8. संयुक्त निदेशक(मो0), पंचायती राज विभाग इसकी प्रगति प्रपत्र में सूचना अपलोड करने का दायित्व निर्वहन करेंगे ।

10/5/18
संयुक्त शासन सचिव(विधि)